



204/1

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

पत्रांक : 7319 /28/76/एक/2018-19  
सेवा में,

दिनांक 22 नवम्बर 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-मऊ।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	433802011001024	IFSC Code UBIN0558605	<b>185.641</b>

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 13 में वशिष्ठ मोदनवाल के मकान से रोडवेज होते हुए अच्छेलाल राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.958
2	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में खरवन राजभर के मकान से यादव बस्ती कुमार यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.805
3	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में शिव प्रसाद के मकान से जगपति के मकान तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	6.597
4	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में गुलाब राजभर के मकान से शिवपूजन के मकान होते हुए श्री प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	7.878
5	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में आर०सी०सी० चौराहा के बादू का खेत होते हुए दिपचन्द के खेत तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	15.000



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

204/2

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व गलिन बस्ती विकास योजनांतर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
6	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में यादव बस्ती से डा० उपेन्द्र का खेत होते हुए राजभर बस्ती तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	3.852
7	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में लाल बहादुर के मकान से धोबी घाट होते हुए दूधनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.292
8	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में श्री प्रसाद के मकान से प्राइमरी स्कूल होते हुए राजेन्द्र राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.032
9	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में प्रमोद गुप्ता के मकान से मेन सड़क तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	3.230
10	मऊ	मु०अ०-37	न०प० घोसी	वार्ड नं० 03 के अन्तर्गत मो० बड़ा गांव उत्तरी में संग्राम के घर से बैजनाथ के टीबुल तक मिट्टी भराई इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.565
11	मऊ	मु०अ०-37	न०प० दोहरीघाट	वार्ड नं० 08 के अन्तर्गत मो० नवापुरा में विदेशवरी की दुकान से माईधिया के स्थान तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.381
12	मऊ	मु०अ०-37	न०प० दोहरीघाट	वार्ड नं० 08 के अन्तर्गत मो० नवापुरा में माईधिया के स्थान से रामचन्द्र पटाखा वाले के घर तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.597
13	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-06 परदहां में रविन्द्र सिंह के मकान से अनिल मौर्या के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	2.567
14	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-06 परदहां में राजेश शर्मा के मकान से अवधेश सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	3.034
15	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-06 परदहां में दिनबन्धु सिंह के मकान से अजय सिंह के प्लाट तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	2.024

*(Handwritten signatures)*



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
16	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-06 परदहां में माधव मैरेज हाल से राजभर बस्ती होते हुए सुरेन्द्र सिंह के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	3.034
17	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-06 परदहां में डा० राम नरेश के मकान से इण्टरलाकिंग तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	3.728
18	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं०-06 परदहां में मिल रोड पर विनोद सिंह के घर से आशीष पाण्डेय के प्लाट होते हुए अनिल श्रीवास्तव के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	5.641
19	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 05 मो० ख्वाजाजहांपुर कोल्हाण में घूरा के घर से विन्ध्याचल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.556
20	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 05 मो० ख्वाजाजहांपुर में कोल्हाण में विजय चन्द के घर से नन्दू के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.556
21	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 05 मो० ख्वाजाजहांपुर में ख्वाजाजहांपुर भुजौटी मुख्य मार्ग से अम्बिका के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.641
22	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 05 मो० ख्वाजाजहांपुर मण्डी गेट मुख्य मार्ग से बालचन्द के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.414
23	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 05 मो० ख्वाजाजहांपुर में अम्बिका के घर से उत्तर से बगडू के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.988
24	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 01 मो० रस्तीपुर में पिच रोड से भोलानाथ के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.829
25	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 06 मो० परदहां में श्रीकान्त श्रीवास्तव के घर से मीरा देवी के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.205
26	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 06 मो० परदहां में मीरा देवी के घर से रामजी गुप्ता के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.076



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किरत)
27	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 06 मो० परदहां में रामजी के घर से विनोद के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	4.902
28	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 06 मो० परदहां में जज बाउण्ड्री से पश्चिम व रविन्द्र के घर के आगे तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	10.619
29	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 06 मो० परदहां में विरेन्द्र सिंह के मकान से खुशबू की बाउण्ड्रीवाल तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	4.640
					185.641

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

W  
A



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक